

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,  
(साधारण बीमा निधि)

द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर-302005

e-mail [add.gis.sipf@rajasthan.gov.in](mailto:add.gis.sipf@rajasthan.gov.in)

Phone No. 0141-2740219

क्रमांक :- F.174(iv)GIF/GPA/Police/U.W./2020-21/3185-92

दिनांक :- 14-02-2025

महानिदेशक पुलिस,  
आयोजना, आधुनिकरण एवं कल्याण,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- पुलिस विभाग के कर्मचारियों हेतु वर्ष 2025-26 के लिए समूह व्यक्ति दुर्घटना बीमा पॉलिसी के मनोनयन हेतु प्रस्ताव पत्र के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि वर्दीधारी पुलिस कार्मिकों को जीपीए योजनान्तर्गत प्रस्ताव पत्र ऑनलाईन भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

अतः कार्मिक द्वारा स्वयं के विवरण की जांच कर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत मनोनयन हेतु जीपीए प्रस्ताव पत्र ऑनलाईन किये जाने है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

**I. जीपीए मनोनयन हेतु प्रस्ताव पत्र ऑनलाईन करने की प्रक्रिया :-**

कार्मिक स्वयं की एसएसओ आई डी (SSO ID) से  
<https://sso.rajasthan.gov.in> पर लॉगिन करें।

"मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना"  
(जीपीए) एप्लीकेशन पर क्लिक करें।

"समूह व्यक्तिगत दुर्घटना योजना (GPA)" के होम पेज पर  
"प्रस्ताव पत्र" बटन पर क्लिक करें

**प्रस्ताव पत्र** में वर्दीधारी पुलिस में "हाँ" का चयन कर Category Option में निम्न में से अपनी श्रेणी का चयन करें।

- A- Cons. to Head Constable
- B- ASI/SI/Inspector
- C- Dy. Sp to Higher

(कार्मिक अपने नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि, नॉमिनी का बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, नॉमिनी से संबंध एवं बीमाधन में हिस्सा प्रतिशत ध्यान रखें कि सभी नामांकितों की कुल हिस्सेदारी 100 प्रतिशत हो)



**Signature valid**  
Digitally signed by Nanda  
Designation: Additional Director  
Date: 2025.02.14 14:43:26 IST  
Reason: Approval

विवरण भरने के पश्चात् स्वयं के पंजीकृत(Registered) मोबाइल नम्बर पर ओटीपी (OTP) के माध्यम से प्रस्ताव पत्र सबमिट करें। इसके पश्चात् प्रस्ताव पत्र का प्रिन्ट प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त प्रक्रिया अनुसार समस्त वर्दीधारी पुलिस कार्मिकों के जीपीए प्रस्ताव पत्र वर्ष 2025-26 के लिए MADBY(GPA) पोर्टल पर ऑनलाईन भरा जाना अनिवार्य होगा। अतः समस्त वर्दीधारी पुलिस कार्मिकों को जीपीए प्रस्ताव पत्र ऑनलाईन करने के लिए निर्देशित करने का श्रम करावें। इस कार्य में तकनीकी समस्या/जानकारी हेतु आवश्यकता होने पर विभाग के TOLL FREE NO. 18001806268 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

**“कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करावें।”**

(ऋतु नन्दा)  
अतिरिक्त निदेशक  
साधारण बीमा निधि  
राजस्थान जयपुर

दिनांक :-

क्रमांक :-F.174(iv)GIF/GPA/Police/U.W./2020-21/

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जयपुर को निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
3. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट [www.sipf.rajasthan.gov.in](http://www.sipf.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करावें।
4. अतिरिक्त निदेशक, आई.एफ.एम.एस., निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6- Ernst & Young, Flat no B-101, Shivgyan Luxora, Jamnalal Bajaj Marg, C Scheme, Ashok Nagar Jaipur, Rajasthan, 302001
- 7- संयुक्त निदेशक, साधारण बीमा निधि, वित्त भवन, जयपुर।

**Signature valid**

Digitally signed by R. Nanda  
Designation: Additional Director  
Date: 2025.07.24 14:43:26 IST  
Reason: Approved